Hindustan Times

CEO briefs political parties on campaign norms for Anta bypoll

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: Anta Assembly by-election in Rajasthan will be held on November 11, 2025, with October 21 set as the last date for filing nominations. According to the schedule announced by the Election Commission of India on Monday, counting of votes will take place on November 14, 2025.

Chief Electoral Officer (CEO) Naveen Mahajan on Tuesday briefed representatives of recognised political parties in a meeting at the Secretariat about the election schedule and the Model Code of Conduct (MCC). The Election Department urged all parties to ensure free, fair, and peaceful polling while strictly adhering to the MCC.

Mahajan said that with the announcement of the by-election, the Model Code of Conduct has come into effect in the concerned revenue district. The official notification for the by-election will be issued on October 13, after which the nomination process will begin. The last date for filing nominations is October 21, scrutiny will be held on October 23, and withdrawal of nominations will be allowed until October 27, 2025.

Mahajan also instructed that polling agents must be present at least 90 minutes before polling begins on election day for the mock poll of EVMs.

He said that media cells and district-level committees have been formed in all relevant districts to certify political advertisements released in the media.

[redacted]

पंजाब केसरी
WED,08 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

तफरा और शोक का माहौल बना हुआ है। हीरालाल नागर, शांति धारीवाल,

अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 11 नवंबर को मतदान, 14 को नतीजा

बारां, 7 अक्टूबर (दिलीप शाह): अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 11 नवंबर को मतदान होगा तथा 14 नवंबर को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह सीट पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त होने के बाद खाली हुई थी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता में बताया कि गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर और जांच 23 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। अंता विधानसभा में 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 268 केंद्र बनाए गए हैं।

अंता सीट बारां जिले की प्रतिष्ठापूर्ण सीट मानी जाती है। 2023 में भाजपा के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया को 5600 से अधिक मतों से हराया था। इस बार भाया या उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया के मैदान में उतरने की संभावना है। वहीं, भाजपा में पूर्व मंत्री सहित कई दावेदार सक्रिय हैं। चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं।

Confusion over Bihar's final voter list, says SC, asks EC to clarify

ANANTHAKRISHNAN G
NEW DELHI, OCTOBER 7

SAYING THERE was "confusion" over Bihar's final voter list after the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, the Supreme Court on Tuesday asked the Election Commission (EC) to clarify on the inclusion of new names, and to submit whatever information it gets on those excluded by Thursday.

The two-judge bench, presided by Justice Surya Kant, was responding to submissions by petitioners, including NGO Association for Democratic Rights (ADR), that the additional 3.66 lakh voters who were deleted in the final list — in addition to the 65 lakh deleted in the draft list — had not been given individual notices.

The final electoral roll published on September 30 has 7.42 crore voters. While 65 lakh names were removed when the draft roll was published on August 1, another 3.66 lakh were deleted during the claims and objections stage before the final list. Alongside, 21.53 lakh new electors were added.

"You will definitely agree with us (that) the degree of transparency and access to information, irrespective of individual rights, is part of an open democratic process. There are three lists now — the 2022 summary revision list, the 2025 draft

CONTINUED ON PAGE 2

Bihar voter list

list and the 2025 final list. From the 2022 summary list and 2025 draft list, it appears there was a 65 lakh deletion, which you published… and we said, whoever is dead or has moved is alright, but if you are deleting someone, please follow the standard operating procedure. We also said whoever is deleted, please put up their data in your district electoral offices," Justice Joymalya Bagchi, who was also part of the bench, said.

"From that draft list, you have got the final list which appears to be appreciation of numbers. From 65 lakh (deletions), it has gone up. So there is confusion, may not be of a person who is deleted but of the general democratic process — that what is the identity of this add-on. Is it an add-on of the deleted names or is it an add-on of new names. There's definitely add-on of some independent new names because they are new voters," Justice Bagchi said. "We make it very clear that this is in aid of the electoral process that you have started. So that the confidence in the electoral process is fortified," he added.

On Monday, the EC announced two-phase Assembly elections in Bihar – on November 6 and 11, with the results to be announced on November 14.

Senior Advocate A M Singhvi, appearing for some of the Opposition parties, said the EC's final list said an additional 3.66 lakh names had been deleted, but nobody had got any notice citing a reason, thereby denying them the opportunity to appeal against the deletion. "Least they can do is inform," he said.

Denying this, Senior Advocate Rakesh Dwivedi, appearing for the EC, said "every individual voter who has been deleted has been given the order".

"If you can give us (that) these are persons who have not been communicated, we will direct them to communicate. Each individual has a right to appeal," Justice Surya Kant told the petitioners.

Advocate Prashant Bhushan, appearing for ADR, said the SIR exercise "was meant to clean up the electoral roll but it has ended up doing just the opposite…Of course there were problems with the list, but instead of cleaning it up, it has compounded the problem." He contended that there was total lack of transparency, and the EC gave the "list of 65 lakh deleted only when the court forced it to".

"Today they say 3.66 lakh voters deleted due to objections, but it has not given list nor uploaded the objections as required by the election manuals, nor have they given anyone a speaking order, which they are required to, on their deletion, on the basis of the objections," said Bhushan. He said there was a 7 per cent reduction in the number of voters after the exercise as well as "disproportionate exclusion of Muslims, women".

3 दिन में कांग्रेस के 3 दिग्गजों का निधन, कुंदनपुर के निधन से भाया को राहत तो पार्टी को नुकसान

सस्पेंस : 13 के पहले सजा माफ तो टल सकते हैं अंता में चुनाव

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की दयायाचिका राजभवन में लंबित

फैसला पक्ष में आया तो मामला जाएगा चुनाव आयोग के पास

जयपुर, 7 अक्टूबर : भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त होने पर चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान भले ही कर दिया लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल कंवरलाल की दया याचिका राजभवन में लंबित है और यदि वहां से सजा माफी मिली तो चुनाव टल भी सकते हैं। हालांकि राजभवन से फैसला होने के बाद भी मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा। वहीं से निर्णय होगा कि इसको लेकर क्या करना है। वहीं 3 दिन में सूबे के तीन कांग्रेस दिग्गजों के निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर के निधन से उपचुनाव में कांग्रेस टिकट के लिए हाथ-पैर मार रहे प्रमोद जैन भाया को अवश्य राहत मिली है लेकिन पार्टी को नुकसान की आशंका है।

चुनाव आयोग के अंता सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग एवं 14 नवंबर को काउंटिंग का प्रोग्राम जारी करते ही आचार संहिता लागू हो गई है लेकिन इसको लेकर नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा। सियासी जानकार मानते हैं कि कंवरलाल मीणा के पास अभी भी छह दिन है।

13 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन

उपचुनाव से बचना चाहेगी भाजपा!

भाजपा सरकार की बात करें तो वह उपचुनाव से संभवतः बचना चाहेगी। कारण इस चुनाव के परिणाम को सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन हार होने पर सरकार के खिलाफ माहौल बनेगा। इसके चलते संभव है कि सरकार भी उपचुनाव से बचना चाहेगी। ऐसे में उनके पास एक ही तुरुप का इक्का कंवरलाल मीणा ही है कि राज्यपाल उनकी सजा माफ कर दें। हालांकि इसके बाद भी गेंद चुनाव आयोग के पाले में रहेगी।

एक-दो दिन में प्रत्याशी के नाम पर लगेगी मुहर

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का फैसला अगले एक-दो दिन में पार्टी आलाकमान कर लेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करेगी। गहलोत ने बताया कि पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जल्द ही राजस्थान आ रहे हैं और उनके साथ विचार-विमर्श के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। पहले इस सीट से प्रमोद जैन प्रत्याशी थे, लेकिन अब नया प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला जल्द होगा।

चुनाव आयोग करेगा फैसला : महाजन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस नवीन महाजन ने पंजाब केसरी को बताया कि उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता लागू हो गई। क्या फैसला आएगा और क्या होगा इन सब की कल्पना ही की जा सकती है। बावजूद ऐसा कोई फैसला आया तो उस पर चुनाव आयोग ही अंतिम फैसला लेगा।

राजभवन के बाद चुनाव आयोग करेगा फैसला

राजभवन फैसले के बाद मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा। इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव होंगे या नहीं। इसके चलते अंता उपचुनाव को लेकर सस्पेंस का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-भाजपा के अंदर चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने टिकट को लेकर जुगत लगाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप नरेश मीणा के टिकट को लेकर सक्रिय हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक बयान नरेश मीणा को लेकर दिया कि वह सियासत में लंबी पारी खेल सकते हैं लेकिन उनको सब्र से काम लेना होगा। अब उनके इस बयान के भी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल भजन सरकार के समय पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग दागदार छवि के चलते उनकी टिकट के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि भाया का नाम कटा तो वह अपनी पत्नी की टिकट के लिए पैरवी करेंगे। अब जब गहलोत ने नरेश मीणा को लेकर जो बयान दिया है उससे पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है।

भाया की खिलाफत करने वाले नहीं रहे

पूर्व मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता भरत सिंह कुंदनपुर का लंबी बीमारी के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में सोमवार रात निधन हो गया। वह पूर्ववर्ती अपनी गहलोत सरकार के समय भी मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके थे। खनन माफिया तक की संज्ञा देकर वह अनशन पर बैठे तो विरोधस्वरूप मुंडन भी कराया था। उनके निधन से अब यह तो साफ हो गया कि भाया के खिलाफ पार्टी के अंदर उनकी खिलाफत नहीं होगी। भाया के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पैरवी करेंगे। हालांकि कुंदनपुर होते तो वह निश्चित रूप से भाया की टिकट पर पेंच फंसा सकते थे। उनके निधन से अंता सीट के उपचुनाव में भी कांग्रेस को थोड़ा-बहुत नुकसान हो सकता है।

डूडी व टांक के निधन से कांग्रेस को झटका

पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक के निधन से कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। डूडी 25 माह से ब्रेन हेमरेज के चलते बेड पर थे और इसी के चलते विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। डूडी कद्दावर और पार्टी के तेजतर्रार नेता थे। उनके निधन से पार्टी को नुकसान हुआ है लेकिन इसका असर आगामी 2028 के चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं टांक फतेहपुर के विधायक भी रहे और राज्यसभा सांसद के साथ ही उनकी यूथ व अल्पसंख्यक वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ थी। इन दोनों के अलावा भरतपुर कुंदनपुर के निधन से भी हाड़ौती में पार्टी को खासा नुकसान हुआ है।

दैनिक भास्कर

जयपुर 08-10-2025

अंता में पिछले चार चुनावों में बीजेपी-कांग्रेस 2-2 बार जीते

जयपुर| हाड़ौती में पांच महीने से खाली पड़ी अंता विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस सीट पर पिछले चार विधानसभा चुनावों में दो बार बीजेपी का कब्जा रहा जबकि दो बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया इस सीट को दो बार जीत चुके है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट भी भाया या उनके परिवार के आसपास रहेगा।

भाया खुद चार बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके है। वहीं उनकी पत्नी उर्मिला भी दो बार झालावाड़ से चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इस परिवार को तीनों बार ही लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा है। उधर बीजेपी इस सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी एक बड़ा चेहरा लाकर सभी को चौका सकती है।

इस सीट पर तीसरे मोर्चे की पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस - बीजेपी के इस गढ़ को ढहाने की तैयारी कर चुके हैं। चंद्रशेखर की आजाद पार्टी की इस चुनाव में एंट्री होगी और नरेश मीणा पर तीसरे मोर्चे का चेहरा रह सकता है।

पंजाब केसरी
WED,08 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

बिहार एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से थे नदारद

सूची से हटाए 3.66 लाख वोटरों का विवरण दे आयोग : सुप्रीम कोर्ट

कल तक देनी होगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से उन 3.66 लाख मतदाताओं का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा जो मसौदा मतदाता सूची का हिस्सा थे लेकिन बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची में वे नदारद हैं। निर्वाचन आयोग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह बाहर रखे गए मतदाताओं के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी वीरवार (9 अक्तूबर) तक अदालत के रिकॉर्ड पर लाए, जब वह एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती वाली याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगी।

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भ्रम है। जब मसौदा सूची तैयार की गई थी तब 65 लाख नाम हटाए गए थे, लेकिन अंतिम सूची में नाम जोड़े गए। पीठ ने सवाल किया कि पूछा कि क्या जोड़े गए नाम 'हटाए गए नाम हैं या नए नाम' हैं। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को सूचित किया कि 30 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद जोड़े गए ज्यादातर नाम नए मतदाताओं के हैं और अब तक सूची से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है।

भ्रम पैदा करने से बचना होगा

न्यायमूर्ति बागची ने निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि मसौदा सूची की संख्या में वृद्धि की गई है, इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए, अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए। कृपया नियम 21 और एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन करें।

नाम हटाने का कारण तक नहीं बताया

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश तब पारित किया, जब राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं सहित कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम सूची से मतदाताओं को हटाए जाने को लेकर कोई नोटिस या कारण नहीं बताया है। पीठ चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी के पास मतदाता सूची का मसौदा है और अंतिम सूची भी 30 सितम्बर को प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 08 Oct 2025 - Page 16

DNA 371022

अंता उपचुनाव में दो लाख से ज्यादा मतदाता लेंगे भाग, अभी भी जोड़े जा रहे नाम

मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 को होगी, मतदान केन्द्रों पर मतदाता को अपना फोन बाहर काउंटर पर कराना होगा जमा

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में इस बार दो लाख 27 हजार 563 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं, मतदान केन्द्रों की संख्या भी 247 से बढ़कर 268 कर दी गई है। उपचुनाव घोषणा के साथ ही पूरे बारां जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि अंता में एक लाख 16 हजार 405 पुरूष मतदाता, एक लाख 11 हजार 154 महिला, चार ट्रांसजेंडर, 1170 दिव्यांगजन और 39 सर्विसमैन मतदाता हैं। वहीं, 85 साल से अधिक उम्र के 1013 मतदाता और 18-19 साल के 8450 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। नए मतदाता जुड़ने का सिलसिला अभी जारी है, 11 अक्टूबर तक मतदाता जोड़ने का काम चलता रहेगा। हर मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होने के कारण मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 268 कर दी गई है। चुनाव अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, नामांकन छंटनी 23 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

पारदर्शिता और निगरानी के नवाचार

इस बार मतदान की पारदर्शिता के लिए कई नवाचार किए गए हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के साथ-साथ बूथवार हर दो घंटे में मतदान की रियल टाइम डिटेल ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट की जाएगी। वोट चोरी के आरोपों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया में कई स्तरों पर पारदर्शिता के उपाय किए हैं। किसी भी शिकायत या सबूत के आधार पर तथ्यात्मक जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस बार मतदान केन्द्रों पर जाने से पहले मतदाताओं को अपने फोन बाहर काउंटर पर जमा कराने होंगे। जहां मॉक पोल डेटा स्पष्ट नहीं किया गया है या प्रपत्र 17 सी व ईवीएम डेटा में अंतर है, वहां वीवीपैट पर्चियों की शत प्रतिशत गणना अनिवार्य की गई है। ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो दिखेगी। इस बार डाक मतपत्रों की गणना समाप्ति के बाद ही ईवीएम के अंतिम दो राउंड की गणना की जाएगी।